



कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक: एफ.() FCA/उवसं/2025/3152

दिनांक : 03/04/2025

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर।

विषय:—Diversion of 189.2515 ha of forest land in favour of DMG, Rajasthan in paharpur Block A & B for Mining and generation of employment and generation of District in the State of Rajasthan (FP/RJ/MIN/149012/2021) के संबंध में।

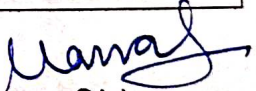
संदर्भ:—कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए) राजस्थान जयपुर को पत्र क्रमांक 271 दिनांक 02.02.2024 तथा सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, रूपवास जिला भरतपुर के राजकाज रेफ.नं. 14373374 दिनांक 25.03.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सन्दर्भित पत्र से प्रकरण में लगाये गये आक्षेपों की अनुपालना रिपोर्ट निम्नानुसार है—

S.N.	Observations	Compliance
1.	11 किलोमीटर के सेफ्टीजोन के डिमार्केशन के विरुद्ध 1 किलोमीटर में सेफ्टीजोन डिमार्केशन हो पाया है।	ब्लॉक बंशी पहाडपुर "बी" में खनिज विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण दिनांक 05.07.2024 अनुसार 5.5 किमी. सेफ्टीजोन डिमार्केशन यूजर एजेन्सी द्वारा करवाया गया था तथा ब्लॉक बंशी पहाडपुर "ए" में खनिज विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण दिनांक 09.01.2025 अनुसार 3.3 किमी. सेफ्टीजोन डिमार्केशन कार्य यूजर एजेन्सी द्वारा करवाया गया था। यूजर एजेन्सी द्वारा उक्त रिपोर्ट अनुसार कुल 8.8 किमी. सेफ्टीजोन डिमार्केशन कार्य करवाया गया है। यूजर एजेन्सी द्वारा अवगत करवाया गया है कि शेष 2.2 किमी. सेफ्टीजोन डिमार्केशन कार्य मौके की स्थिति अनुसार करवाया जाना संभव नहीं है (संलग्न खनिज विभाग की मौका रिपोर्ट)
2.	वनसीमा पर 158 आरसीसी पिलर्स स्थापित किये जाने थे 8 पिलर्स स्थापित हुए हैं।	इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4500 दिनांक 04.06.2024 से आपको प्रेषित रिपोर्ट अनुसार यूजर एजेन्सी द्वारा डायवर्टेड व वन सीमा पर 158 आरसीसी पिलर्स का निर्माण करवाया जा चुका है। (प्रति संलग्न)

संलग्न:— उपरोक्तानुसार


(मानस सिंह)

उप वन संरक्षक
भरतपुर

क्रमांक: एफ.() FCA/उवसं/2025/

दिनांक:

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान, जयपुर।
2. अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर।
3. खनि अभियन्ता, भरतपुर।

1
उप वन संरक्षक
भरतपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, रूपवास जिला भरतपुर
क्रमांक :-सखअ/रूप/भरत/रि.शा./2025/
श्रीमान उपवन संरक्षक,
भरतपुर। दिनांक :-

विषय :- Diversion of 189.2515 ha of forest land in favour of DMG, Rajasthan in pahadpur Block A & B for mining and generation of employment in the state of Rajasthan (FP/RJ/MIN/149012/2021).

प्रसंग :- आपका पत्र दिनांक एफ.()एफसीए/उवसं/2023/236 दिनांक 11.01.2024 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 3237-3238 दिनांक 20.12.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि इस कार्यालय के पत्रांक 3237-3238 दिनांक 20.12.2023 के विन्दु संख्या 2 व 7 हेतु पालना रिपोर्ट निम्न प्रकार है:-

क.सं.	observations	compliance
2	Point No. B(vi) (c) current status of safety zone demarcation (d) status of plantation in safety zone	डायवर्टेड क्षेत्र में बी ब्लॉक की सेफ्टी जोन का डिमार्केशन कर फैनसिंग पूर्ण करवा दी गयी है। शेष ए ब्लॉक की 5.5 किलोमीटर लम्बी बाउण्ड्री का सेफ्टी जोन में से 3.3 किलोमीटर की सेफ्टी जोन का डिमार्केशन कर फैनसिंग पूर्ण करवा दी गयी है। तथा 2.2 किलोमीटर की वायर फिनिसिंग मौका स्थिति अनुसार तैयार किया जाना सम्भव नहीं है। (मौका रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।) फैनसिंग कार्य एवं वृक्षारोपण हेतु डीएमएफटी मद से प्रशासनिक स्वीकृति श्रीमान जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश राजकाज रेफरेन्स न0 8767534 दिनांक 09.07.2024 से जारी की जा चुकी है। (फोटो ग्राफ संलग्न है)
7	Point No. B(XVI)- Status o boundary (is RCC pillars) of diverted forest land	डायवर्टेड क्षेत्र में निर्धारित साइज के आरसीसी पिलर पर संपूर्ण विवरण अंकित कर स्थापित कर दिये गये हैं। (फोटो ग्राफ संलग्न है तथा अनारक्षित भूमि की बाउण्ड्री का ड्रोन सर्वे से लिया गया विडियो की पैन ड्राईव संलग्न है)

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही कराया जाने का श्रम करावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(संजय कुमार शर्मा)
सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास जिला भरतपुर।
दिनांक :-

क्रमांक :- समसंख्यक/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
3. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान), कोटा - जोन, कोटा।
4. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर वृत्त, भरतपुर।
5. श्रीमान खनि अभियन्ता, भरतपुर।

Signature valid

Digitally signed by Sanjay Kumar Sharma
Designation : Assistant Mining Engineer
Date: 2025.03.26 15:37:20 IST
Reason: Approved
रूपवास जिला भरतपुर।





कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक: एफ.() FCA/उवसं/2023/4500

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर

दिनांक : 4/6/24

विषय:—Diversification of 189.2515 ha of forest land in favour of DMG, Rajasthan in Banshi paharpur Block A & B for Mining and generation of employment in the State of Rajasthan (FP/RJ/MIN/149012/2021) के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, बयाना द्वारा मौका रिपोर्ट में अवगत करवाया गया है कि दिनांक 31.05.2024 तक कुल 158 पिलर का निर्माण करवाया गया है जिसमें वन खण्ड बंशी पहाड़पुर "ब" के 1 से 83 पिलर पर कलर करवाकर जी.पी.एस. कॉर्डिनेट्स व पिलर नं. अंकित कर दिये गये हैं जबकि वन खण्ड "अ" के 1 से 75 पिलर पर कलर नहीं करवाया है और न ही पिलर नं. व जी.पी.एस. कॉर्डिनेट्स अंकित किये गये हैं तथा लगभग 4.5 किमी safety Zone के एक साईड में 2 तार लगाकर फेन्सिंग की गयी है एवं लगभग 500 मीटर 5 तार की एक साईड में फेन्सिंग की गई है। निम्नानुसार 158 पिलर्स का सत्यापन कर लिया गया है।

वन खण्ड	लगाये जाने वाले पिलर	लगाये जा चुके हैं एवं सत्यापित किये जा चुके हैं
बंशी पहाड़पुर अ	1 से 75	1 से 75
बंशी पहाड़पुर ब	1 से 83	1 से 83

(जी०के० वर्मा)

उप वन संरक्षक
भरतपुर

दिनांक:

क्रमांक: एफ() FCA/उवसं/2023/4501-04

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान, जयपुर।
2. अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर।
3. खनि अभियन्ता, भरतपुर।
4. सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास।

उप वन संरक्षक
भरतपुर

गंजप
24/3/25

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, रुपवास, भरतपुर
मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 22/03/2025 को अद्योदयवास (करीब)

समय तकनीकी कार्यालय के निकट ग्राम - पंशी पहाड़पुर तहसील -

रुपवास, जिला - भरतपुर में वन भूमि से डायवर्टेड शैल (क्लाक

A) में 5.5 Km लम्बाई की बाउंड्री पर Safety Zone तैयार करवाने वाले शैल का निरीक्षण किया गया जिसमें वर्तमान मौका स्थिति अनुसार डायवर्टेड शैल की बाउंड्री पर निम्न कारणों से करीब 2.2 Km लम्बाई की परिधि पर गैर फेन्सिंग कर Safety Zone तैयार करना सम्भव नहीं है।

1. डायवर्टेड भूमि की बाउंड्री पर कई जगहों पर पुराने खनन के कड़ी 30-50 फीट गहराई के गड्ढे बने हुए हैं जिसमें गैर फेन्सिंग (गारबन्दी) सम्भव नहीं है।
2. डायवर्टेड भूमि बाउंड्री पर कई जगहों पर पुराने ओवर बर्डन के उखड़-खाकड़ टेर बने हुए हैं, मलबे में विभिन्न परिमाण के बड़े-2 कोल्डर/क्लाम्स पड़े हैं जिन्हें हटाना सम्भव नहीं है।
3. डायवर्टेड भूमि की ~~बाउंड्री~~ बाउंड्री के पास कई जगहों पर खातेदारी भूमि होने से सीमास्तम्भों को सतिगस्त किया गया है व Safety Zone को बनाने का स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा विरोध किया गया है जिसमें विवाद की स्थिति है साथ ही खातेदारी भूमि व डायवर्टेड भूमि की सीमा का भी कुछ जगह विवाद होने से ग्रामवासियों द्वारा फेन्सिंग/गारबन्दी नहीं होने दी जा रही है।

अतः वर्तमान परिदृश्य में पुराने खनन-पिट, मलबा, ओवर बर्डन के क्लाम व स्थानीय ग्रामवासियों से विवाद के कारण लगभग 2.2 Km की बाय फेन्सिंग सम्भव नहीं है।

(वीरेंद्र कुमार)
MFI

(संजय कुमार शर्मा)
सहायक खनि अभियन्ता
रुपवास

राजस्थान सरकार

कार्पलिस सहायक रक्षक अभियन्ता सप्तगढ़ भद्रपुर (राणठ)
गौका रिपोर्ट

08/07/24

आज दिनांक 5/07/2024 को कार्पलिस पत्र क्रमांक 25/24/2024/राजकाज रेपरेन्स नम्बर 6838506 दिनांक 30/04/2024 की पालना में निम्न ग्राम वंशीपहाड़ पट्टा क्षेत्र तहसील कापवाग जिला भद्रपुर के ब्लॉक वनखण्ड A व B के डापवर्ड्स भूमि पर डापवर्जन की शर्तों के अनुसार सीमा स्तम्भ (सर्जिज 4x2x2 फीट) एवं वायर फेन्सिंग के निर्माण करवाने के संबंध में वंशीपहाड़ पट्टा क्षेत्र में उभावशील श्वेत पट्टे के पर्यवेक्षीयों द्वारा वनखण्ड B में डापवर्ड्स भूमि की सीमा पर निर्धारित सर्जिज के 83 सीमा स्तम्भ एवं 5 कोटेदार तारों से करीब 5.5 km की फेन्सिंग बनाकर सैफ्टी जोन तैयार करवाया जाना था जिसके क्रम में बनाये गये सैफ्टी जोन को वनपाल बाबा वंशीपहाड़ पट्टा क्षेत्र वन विभाग को दिखाया गया। वनखण्ड ब्लॉक A व B में से वनखण्ड B में 83 सीमा स्तम्भ बनाये जाकर पिटर्स 18 से 32 व 65 से 77 तथा 5 से 8 इस प्रकार लगभग 5.1 km कोटेदार तारों व वैल्टेज तेन्डरों के ब्लॉकों से फेन्सिंग कर सैफ्टी जोन तैयार कर दिया है। एवं करीब 15 मीटर पर श्वेत पट्टे में जाने वाले शाली व उबड़-खात चट्टान होने से safety zone फेन्सिंग नहीं हो सकी है तथा पिटर्स सरिता 28 से 30 के ग्रहण ढलान होने से एक तरफ फेन्सिंग कर सैफ्टी जोन तैयार किया गया है।

रिपोर्ट की भाषा की जेब में चेक है।

W
5/7/24

(सह निम्न)

05/07/2024

मौका निरीक्षण रिपोर्ट

13/01/25

आप्य दिनांक 09-01-2025 को जल बोर्ड नेत्री-पटापुर-ए में प्रस्तावित पनझी की सीमा पर पंचायत समिति रुपवास एवं ग्राम एजेन्सी सहोदरवि० मणिगन्ता, रुपवास द्वारा तैयार कराये जा रहे Safety zone (लार केसिंग) का मौका निरीक्षण हेतु शनिव्र विभाग एवं पन-फिगा की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। उक्त Safety zone (लार केसिंग) का कार्य अनुमानित लगभग 3300 मी० की लम्बाई में 4 फीट ऊँचाई में बोरे के रोल को सीमेंट क्लीक में पसीन में गाड़कर 5 लार (3 लम्बे 2 लार कोस) रखी जा रहे हुए किया गया है। उक्त Safety zone प्रस्तावित पनझी के अन्दर बाहरी सीमा पर सही जगह पर ही बनवाया गया है। उक्त कार्य केसिंग कार्य पंचायत समिति, रुपवास की देख-रेख में किया गया है। उक्त कार्य की भौतिक स्थापन रिपोर्ट पंचायत समिति, रुपवास से भी लिया जाना उचित होगा।

उपस्थित सभी एजिरीन के हस्ताक्षर कराये गये।

13/01/25

13/01/25

Gaurav Borsal
R.P.

13/01/25

1614
13-1-25

Latitude: 26.929124
Longitude: 77.501145
Elevation: 255.35±16 m
Accuracy: 3.0 m

76

SS 45.1213 N

LONG 77.30 03.9759E

Altitude: 26,928.069
Longitude: 77.502336
Elevation: 244.65±22 m
Accuracy: 2.6 m

(71)

LAT- 26° 55' 41.8001" N
LONG- 77° 30' 08.8412" E

Latitude: 26.92789
Longitude: 77.502605
Elevation: 247.65±16 m
Accuracy: 3.0 m

(70)

LAT-26°55'40.6641" N

LONG-77°30'09.3708" E



8
72
31 m

Covered by Noddy

Latitude: 26.928002
Longitude: 77.497909
Elevation: 252.54±19 m
Accuracy: 2.3 m







